कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

e-mail: dfo_ramnagar@rediffmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक 2321 / 12-1 दिनांक, रामनगर 12/3/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषयः– जनपद नैनीताल में बोरपुल–हनुमान मन्दिर–छोटी हल्द्वानी–गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 2150 / 12–1 दिनांक 23.02.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून की पत्र संख्या 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 08 / 2015 / एफ.सी. / 1683 दिनांक 12.01.2018 द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या –1 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1170 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा करने हेतु अधिरोपित की गई है। जिसके कम में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको 1170 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 12,87,000.00 (बारह लाख सतासी हजार) मात्र की धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक क–972 / 3–2 दि0 21.11.2017 के अनुसार संशोधित दर रू0 1100 / – प्रति वृक्ष जमा करने हेतु लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु संशोधित दर (रू0 1100 / प्रति वृक्ष) वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित की गई है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में यदि आप द्वारा 1170 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में जमा की जानी है तो प्रति वृक्ष 1000 / – की दर से रू0 11,70,000.00 (ग्यारह लाख सत्तर हजार) मात्र जमा की जायेगी। वर्ष 2018–19 में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित दर (रू0 1100 / – प्रति वृक्ष) लागू होगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक –2321 / 12 –1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, पश्चिमी वृत,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

O/C

ee_ndlin & [illegible]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

e-mail: dfo_ramnagar@rediffmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक 2150 /12-1 दिनांक, रामनगर 23/2/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषयः– जनपद नैनीताल में बोरपुल–हनुमान मन्दिर–छोटी हल्द्वानी–गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/08/2015/एफ.सी./1683 दिनांक 12.01.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,देहरादून की पत्र संख्या 2588/FP/UK/ROAD/8636/2014 दिनांक 29.01.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जसके द्वारा विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नानुसार उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

1– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1170 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 12,87000.00(बारह लाख सतासी हजार) मात्र की धनराशि जमा की जानी है (प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक क 972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार संधोधित दर रू0 1100/–प्रति वृक्ष)।

2– शर्त संख्या –2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रूप 7,88,366.00 (सात लाख अठासी हजार तीन सौ छियासठ) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है।

3– शर्त संख्या – 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्वता प्रस्तुत किया जायेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

4– शर्त संख्या –4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों को वैब पोंटल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किये जायेगे, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी। अनुपालन आख्या इस कार्यालय को भेजी जाय ताकि इसकी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

5– शर्त संख्या –5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी । इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यलय, देहरादून द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध होने पर उच्च स्तर को सन्दर्भित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक – 2150 / 12 – 1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, पश्चिमी वृत,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।